

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ-5-35/2017/10-2
प्रति,

रायपुर, दिनांक 08/08/2018

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छ.ग. रायपुर ।

विषय:- आवेदनकर्ता, प्रबंध संचालक, आइडिया सेलुलर लिमिटेड, रायपुर का कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वन मंडल अंतर्गत मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा से मनेन्द्रगढ़ तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.665 हे. वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दि. 8.4.09
2. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-5-3/2007-FC दि. 5.2.09
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र. भू-प्रबंध/विविध/115-659/1722 रायपुर दिनांक 24.05.2017 ।

—000—

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें आपके द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रेषित करने की अनुशंसा कि गई थी ।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दि. 08.04.09 तथा पत्र क्र. F No.-5-3/2007-FC दि. 05.02.09 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोंपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वन मंडल अंतर्गत 0.665 हे. वनभूमि में मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा से मनेन्द्रगढ़ तक भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रबंध संचालक, आइडिया सेलुलर लिमिटेड, रायपुर को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं की जावेगी ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 1.00 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचे इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर भरकर समतल किया जावेगा ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित करेंगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रहे वनभूमि का Damage Control हो सके ।
6. उपरोक्त लाईन राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संस्थान उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।
8. आवेदक संस्थान स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।
9. आवेदक संस्थान स्थानीय वनविभाग से पूर्वानुमति के बिना रखरखाव का कार्य नहीं करेगा ।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के शर्तों का पालन किया जाएगा ।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट संबंधित भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को प्रेषित करेंगे ।

0.12

13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को निवेदन करेंगे ।

14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna)के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदन संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा -2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

जब तक यह विभाग औपचारिक अनुमोदन जारी न कर दें, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा उपयोगकर्ता को वन भूमि के वनेत्तर उपयोग का आदेश जारी न किया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

012

(एम.एन.राजूरकर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

रायपुर, दिनांक 08/09/2018

पृष्ठांकमांक/एफ-5-35/2017/10-2

प्रतिलिपि :-

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्र), भारत सरकार,पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग, व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

2.मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त अंबिकापुर (छ.ग.)

3.वन मंडलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ वनमंडल मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.)

4.आवेदनकर्ता प्रबंध संचालक, आइडिया सेलुलर लिमिटेड, पांचवी मंजिल मिलेनियम प्लाजा, रिंग रोड रायपुर छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

012